पांच दिन बाद बेटे के जन्मदिन पर घर आने वाले थे देवेंद्र

आगरा, 15 मई (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान के गांव में शोक की लहर छा गई है और घर में माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया है।

आगरा के सिकंदरा के लखनपुर गांव के रहने वाले 28 वर्षीय देवेंद्र सीमा सुरक्षा बल की 173वीं बटालियन में थे। वह पांच दिन बाद ही अपने दो साल के बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए गांव आने वाले थे। जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठियों की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा अग्रिम चौकियों पर की गई गोलीबारी में वह शहीद हो गए। लखनपुर निवासी नारायण सिंह के छोटे बेटे देवेंद्र का 2011 में सीमा सुरक्षा बल में चयन हुआ था। वह काफी समय से जम्मू में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात थे। देवेंद्र का दो साल का बेटा और नौ महीने की बेटी है। वह डेढ़ महीने पहले कुछ दिन की छुट्टी लेकर परिवार से मिलने आए थे।

देवेंद्र के बेटे धीरज का 25 मई को जन्मदिन है। उन्हें बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी मिल गई थी। 19 मई को जम्मू से आगरा के लिए आना था। इसी बीच मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय से देवेंद्र की शहादत की खबर आई। इस संबंध में थाना सिकंदरा के इंस्पेक्टर अजय कौशल ने बताया कि जवान की मौत की सूचना मिल चुकी है।

विमान के वॉशरूम में मिला 1.15 करोड़ का लावारिस सोना

इंदौर, 15 मई (भाषा)।

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) ने स्थानीय देवी अहिल्याबाइ हवाई अड्डे पर खड़े एक विमान के वॉशरूम से सोने की 30 सिल्लियां लावारिस हालत में बरामद की हैं। तस्करी के जरिए लाई गई धातु की 3.5 किलोग्राम वजनी खेप की कीमत लगभग 1.15 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।

हवाई अड्डे के एक आला अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि अवैध सोने की यह खेप जेट एअरवेज की उड़ान (9डब्लू 793) के सोमवार रात 11 बजे के आस-पास दिल्ली से इंदौर पहुंचने के बाद विमान के वॉशरूम से बरामद की गई।

उन्होंने बताया कि इंदौर पहुंचने के बाद विमान से सभी यात्री नीचे उतर चुके थे और एअरलाइन के सुरक्षा अधिकारी इसकी नियमित जांच कर रहे थे। तभी एक कर्मचारी ने विमान के वॉशरूम में सोने की सिल्लियां देखीं। इसके बाद डीआरआइ के अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई जिन्होंने मौके पर पहुंचकर इस खेप को जब्त किया।

डीआरइआइ के एक अधिकारी ने बताया कि वजन कराने पर 30 सिल्लियों का कुल वजन 3.5 किलोग्राम के आसपास निकला। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

आंध्र प्रदेश में नौका पलटी, कई लोगों के डूबने की आशंका

अमरावती (आंध्र प्रदेश) 15 मई (भाषा)।

राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में मंगलवार को गोदावरी नदी में एक नौका पलट गई, जिसमें कई लोगों के डूबने की आशंका जताई गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के कर्मियों को लापता लोगों का पता लगाने के काम में लगाया गया है। दुर्घटना के वक्त नौका में सवार यात्रियों की संख्या भी स्पष्ट नहीं है, जबकि खबरों के मुताबिक कम से कम 10 लोग तैर कर सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जिले के अधिकारियों से फोन पर बात की और घटना के बारे में जानकारी ली।

एक अधिकारी ने बताया कि तेज हवा के चलते यह दुर्घटना हुई होगी। नौका कोंदामोडालु से राजमहेंद्रवरम जा रही थी तभी यह हादसा हुआ।

रेलटेल

(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No U64202DL2000GOI107905

खुली निविदा सूचना

E-Tender Notice No: RAILTEL/TENDER/OT/CO/OP/2018-19/Duct/NOFN/436 Dt 01.05.2018 के द्वारा 2422 किलोमीटर HDPE डक्ट खरीदने हेतु जिसका आकार 40/33 मिमी तथा Spec. TEC GR No. GR/TX/CDS-008/03/ March 11 with latest amendment" हो, ई-निविदा (रिवर्स ऑक्सन) आमंत्रित की जाती है। निविदा सूचना और निविदा प्रलेख रेलटेल की वेबसाइट **www.railtelindia.com** और ई-निविदा पोर्टल **https://www.tcil-india-electronictender.com** पर 16.05.2018 से डाउनलोड कर सकते है।

बयाना राशि (ईएमडी) : रु.10 lakh

वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय – 610-611, गुरु राम दास नगर, मेन मार्केट, SBI बैंक के सामने, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली – 110092.
कॉर्पोरेट कार्यालय – प्लाट नं. 862, उद्योग विहार, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ – V, गुरुग्राम – 122016.
टेली: 0124 – 4640030; फैक्स: 0124–4640046; ईमेल: cs@vmart.co.in
वेबसाइट: www.vmart.co.in; CIN – L51909DL2002PLC163727

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों की सूची और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 29(2) के अनुसरण में, कंपनी के बोर्ड निदेशकों की एक बैठक का आयोजन वीरवार, 24 मई, 2018 को कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में किया जाना निर्धारित हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ, समाप्त हुई चौथी तिमाही और 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के ऑडिट किये गए वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा, उनका अनुमोदन किया जाएगा और उन्हें रिकॉर्ड में लिया जाएगा और वित्त वर्ष 2017 – 18 के लिए लाभांश, यदि कोई है, की अनुशंसा की जाएगी।

कृते वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड
अधोहस्ताक्षरित -मेघा टंडन
कंपनी सचिव

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 15–05–2018

लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

LIBERTY

सीआईएन : L19201HR1986PLC033185
पंजीकृत कार्यालय: लिबर्टीपुरम, 13वाँ माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला - करनाल - 132114, हरियाणा
कॉर्पोरेट ऑफिस: भू तल, टावॅर-ए, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा
दूरभाष : +(91)-0124-4616200 फैक्स: +(91)-0124-4616222
ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनिमय, 2015 के विनिमय 29 तथा 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, दिनांक 26 मई, 2018 को कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा तथा उसे मंजूरी प्रदान की जाएगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.libertyshoes.com), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

हस्ताक्षर/-
मुनीष काकरा
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं
कम्पनी सचिव

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा
तिथिः सोमवार, 14 मई, 2018

कार्पोरेशन बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालयः दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज़ रोड–1, नई दिल्ली–110005,
फोन : **011-28754615, 28754642**, ईमेल : **dlirec@corpbank.co.in**, वेबसाइट : **www.corpbank.com**

मैसर्स एम आर चेन्स् प्रा. लि., 1245, द्वितीय तल, कूचा महाजनी, चाँदनी चौक, दिल्ली–110006
मैसर्स एम आर चेन्स् प्रा. लि., 1139, द्वितीय तल, कूचा महाजनी, चाँदनी चौक, दिल्ली–110006
श्री मुनी राम वर्मा, डी–79, तृतीय तल, अशोक विहार, फेज– I, दिल्ली–110052
श्री मुनी राम वर्मा, ए जी –167, शालीमार बाग, नई दिल्ली
श्रीमती आशा वर्मा पत्नी श्री मुनी राम वर्मा, डी–79, तृतीय तल, अशोक विहार, फेज– I, दिल्ली–110052
श्रीमती आशा वर्मा पत्नी श्री मुनी राम वर्मा, ए जी –167, शालीमार बाग, नई दिल्ली

प्रतिभूत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम के तहत 15 दिन का नोटिस

1. कार्पोरेशन बैंक ओवरसीज शाखा, एम–93, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली, प्रतिभूत क्रेडिटर द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांकित 12.09.2014 जारी की गई थी, जिसमें आपसे आपकी तरफ बकाया राशि अनुबद्ध समय के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। चूंकि आप उपरोक्त सूचना का अनुपालन अनुबद्ध समय सीमा के भीतर करने में असफल रहे, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के परिशिष्ट 4 के अनुसार जारी (सांकेतिक) कब्जा सूचना दिनांकित 21.05.2015 आपको सुपुर्द की गई थी तथा प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी सम्पत्तियों पर चस्पा किए जाने के अतिरिक्त समाचारपत्रों में प्रकाशित भी करवाई गई थी।
2. चूंकि आप प्रतिभूत क्रेडिटर की बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई प्रतिभूत सम्पत्ति दिनांक 06.06.2018 को पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक **www.bankauctions.in** पर जनता से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करने द्वारा सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा बेची जाएगी।
3. आपसे उपरोक्तानुसार प्रस्तावित बिक्री में प्रतिभूत अचल सम्पत्तियों के क्रय में इच्छुक पार्टियों द्वारा भाग लिया जाना सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया जाता है।
4. बिक्री की शर्तों की एक प्रति आपके संदर्भ हेतु संलग्न की गई है। कृपया नोट करें कि नीलामी संलग्न बिक्री की शर्तों में वर्णित तिथि एवं समय पर ई–नीलामी के माध्यम से संचालित की जाएगी।

प्रतिभूत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के नियम एवं शर्तेः

1.	कर्जदार और गारंटर का नाम एवं पता	**मैसर्स एम आर चेन्स् प्रा. लि.**, 1245, द्वितीय तल, कूचा महाजनी, चाँदनी चौक, दिल्ली–110006 **मैसर्स एम आर चेन्स् प्रा. लि.**, 1139, द्वितीय तल, कूचा महाजनी, चाँदनी चौक, दिल्ली–110006 **श्री मुनी राम वर्मा**, डी–79, तृतीय तल, अशोक विहार, फेज– I, दिल्ली–110052 **श्री मुनी राम वर्मा**, ए जी –167, शालीमार बाग, नई दिल्ली **श्रीमती आशा वर्मा** पत्नी श्री मुनी राम वर्मा, डी–79, तृतीय तल, अशोक विहार, फेज– I, दिल्ली–110052 **श्रीमती आशा वर्मा** पत्नी श्री मुनी राम वर्मा, ए जी –167, शालीमार बाग, नई दिल्ली
2.	सिक्योर्ड क्रेडिटर का नाम एवं पता	कॉर्पोरेशन बैंक ओवरसीज़ शाखा, एम–93, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001
3.	**अचल सुरिक्षत आस्तियों का विवरण जिसे बेचा जा रहा है**	व्यवसायिक सम्पत्ति प्रथ्रम तल (बिना छत / टैरेस के अधिकार के), सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 3160, वार्ड नं. XVI, ब्लॉक पी, प्लॉट नं. 113, खसरा नं. 2746/2616, गली नं. 34, बस्ती रेघर, सरस्वती मार्ग, बिडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में स्थित
4.	**ऋण भार, सुरिक्षत आस्तियों पर यदि कोई है**	**कुछ नहीं**
5.	धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 05.06.2018 को सायं 05.00 बजे से पहले
6.	नीलामी की तिथि एवं समय	दिनांक 06.06.2018 को पूर्वा. 11.45 बजे से अर्पा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) ई–नीलामी वेबसाईट: **https://bankauctions.in**
7.	वसूली के लिए सुरक्षित ऋण जिसके अचल सुरक्षित संपत्ति को बेचा जाना है	रु. **34,34,10,426.37** प्लस भविष्य का ब्याज और अन्य खर्चे
8.	आरक्षित मूल्य जिससे कम पर निम्नवर्णित सम्पत्ति को नहीं बेचा जाएगा	रु. **2,11,91,000/-**

9. इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति के सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत के समतुल्य रू. **21,19,100.00** की राशि प्राधिकृत अधिकारी के पास धरोहर राशि जमा के रूप में खाता प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक, ओवरसीज शाखा, एम–93, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा अथवा इंटरनेट भुगतान के माध्यम से खाता नंबर **060601601222222** तथा आईएफएससी कोड **CORP0000606** में जमा करने के साथ ही बोलीदाता को वेबसाइट **www.bankauctions.in** पर उपलब्ध ई–बिड फार्म उपरिवर्णित तिथि एवं समय से पूर्व प्रस्तुत करना होगा तथा शाखा/प्राधिकृत अधिकारी से उसकी लिखित रसीद प्राप्त करनी होगी। इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति आइटम का वर्णन करना होगा अर्थात "(नं. 15 खाते/बंधककर्ता का नाम वर्णित करें"। यदि एक से अधिक संपत्तियों को आइटम नंबर के अनुसार वर्णित किया जा सकता है)" जिसके लिए ईएमडी जमा की गई है।
10. बोलीदाता का पूरा नाम और पता उसकी पहचान के प्रमाण तथा पैन कार्ड सहित मैसर्स 4क्लोजर वेबसाइट **https://bankauctions.in** पर ई–बिड फार्म भरते समय प्रस्तुत करना होगा।
11. बैंक, प्रतिभूत क्रेडिटर का, बिना कोई कारण बताए, उच्चतम बोली स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बिक्री निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. बोलीदाता की स्थिति में बोली उच्चतम बोली राशि अथवा तत्काल पूर्ववर्ती बोली राशि, यथास्थिति, से कम से कम रू. 1,00,000.00 अधिक होनी चाहिए। बोली न्यूनतम रू. 1,00,000.00 के गुणज में बढ़ाई जा सकती है।
13. बिक्री की पुष्टि उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में की जाएगी तथा बिक्री की पुष्टि प्रतिभूत क्रेडिटर द्वारा पुष्टि की शर्त के तहत होगी।
14. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा घोषित सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, जमा की गई ईएमडी राशि घटाकर, तत्काल नकद/डीडी/आरटीजीएस/एनईएफटी/इंटरनेट अंतरण/वसूली की शर्त पर चैक के रूप में बिक्री संचालित कर रहे प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी तथा क्रय मूल्य की शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी के पास प्रतिभूत क्रेडिटर द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन से पूर्व अथवा पार्टियों के बीच परस्पर सहमति से आगे बढ़ाई गई अवधि के भीतर जमा करनी होगी।
15. सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करने में असफल रहने पर, उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी प्रतिभूत क्रेडिटर द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा स्वीकार की गई बोली स्वतः रद्द मान्य होगी।
16. प्रतिभूत क्रेडिटर द्वारा क्रय मूल्य की शेष राशि बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन से पूर्व अथवा पार्टियों के बीच परस्पर सहमति से आगे बढ़ाई गई अवधि के भीतर जमा करने में असफल रहने पर, बिक्री मूल्य की जमा की जा चुकी 25 प्रतिशत राशि जब्त मान्य होगी तथा सम्पत्ति तत्काल दोबारा बेची जाएगी और चूककर्ता क्रेता के सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश से अनुवर्ती बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में सभी दावे जब्त मान्य होंगे।
17. प्रतिभूत क्रेडिटर द्वारा बिक्री की पुष्टि किए जाने पर तथा यदि सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा भुगतान की शर्तों का अनुपालन किया गया है, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा क्रेता के पक्ष में अचल सम्पत्ति की बिक्री का प्रमणपत्र प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के परिशिष्ट –5 के अनुसार जारी किया जाएगा।
18. प्राधिकृत अधिकारी, सम्पत्ति किसी ऋणभार से ग्रस्त होने की स्थिति में, यदि उपयुक्त विचारित करता है, क्रेता को, ऋणभार तथा उस पर ब्याज और ऐसी अतिरिक्त राशि जो उसके द्वारा आकलित अनुषंगियों अथवा अतिरिक्त लागतों, खर्चों तथा ब्याज चुकता करने के लिए पर्याप्त है, उसके पास जमा करने की अनुमति दे सकता है।
19. ऋणभार चुकता करने हेतु ऐसी राशि जमा की जाने पर, प्राधिकृत अधिकारी उसके पास जमा राशि में हितधारक अथवा उसके अधिकारी व्यक्तियों को सूचना जारी कर सकता है अथवा क्रेता से जारी करवा सकता है और तदनुसार भुगतान के लिए कदम उठा सकता है।
20. हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण प्रभार, लागू अनुसार, सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
21. क्रेता द्वारा इन ऋणभारों के निर्वहन हेतु राशि जमा करने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा क्रेता को, प्रतिभूत क्रेडिटर को ज्ञात ऋणभारों से मुक्त, सम्पत्ति सौंपी जाएगी।
22. बिक्री का प्रमाणपत्र इस विशिष्ट उल्लेख के साथ जारी किया जाएगा कि क्रेता द्वारा अचल/चल प्रतिभूत सम्पत्तियां प्रतिभूत क्रेडिटर को ज्ञात ऋणभारों से मुक्त क्रय की गई हैं अथवा नहीं।
23. असफल बोलीदाता, जो ईएमडी जमा कर चुके हैं, अपनी ईएमडी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के तत्काल पश्चात बिना ब्याज वापस प्राप्त करने के हकदार होंगे।
24. यदि कर्जदार द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि जिसमें कब्जा प्राप्त करने तथा बिक्री संचालित करने के खर्चे समेत सभी अद्यतन खर्चे शामिल हैं, प्रतिभूत क्रेडिटर को ई–नीलामी से पहले चुका देता है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी रद्द की जा सकती है।
25. उपरोक्त चल/अचल प्रतिभूत सम्पत्तियां "जैसा है जहां है" तथा "जो है जैसा है" शर्त पर बेची जाएंगी।
26. इच्छुक बोलीदाता, यदि चाहें, प्राधिकृत अधिकारी से भेंट का समय सुनिश्चित कर, चल/अचल प्रतिभूत सम्पत्तियों का निरीक्षण, ई–नीलामी की तिथि से पूर्व कर सकते हैं।
27. बिक्री से प्राप्त होने वाली पूरी राशि अनन्य रूप से बैंक की बकाया राशि चुकाने के लिए उपलब्ध होगी तथा इसमें सभी सांविधिक बकाया तथा अन्य बकाया, यदि कोई, शामिल नहीं हैं, जो प्रस्तावित क्रेता को अपने स्वयं के स्रोतों से चुकाने होंगे।
28. ई–नीलामी पोर्टल **https://bankauctions.in** के माध्यम से दिनांक 06.06.2018 को पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक, 10 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ संचालित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को अपना नाम पोर्टल **https://bankauctions.in** मैसर्स 4क्लोजर हेल्प लाइन नंबर 040–23836405, +91–8142000067/+91–8142000062/63 हेल्पलाइन ई–मेल आईडी : **info@bankauctions.in** पर पंजीकृत करवाना होगा तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और ई–नीलामी पर प्रशिक्षण/ऑन–लाइन प्रशिक्षण मैसर्स 4क्लोजर हेल्प लाइन नंबर 040–23836405, +91–8142000067/+91–8142000062/63 हेल्पलाइन ई–मेल आईडी : **info@bankauctions.in** श्री विकास कुमार – **+91-8142000809** से प्राप्त करना होगा।
29. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, बैंक को ज्ञात सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली देने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन सम्पत्ति की बिक्री हेतु बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा तथा प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए नीलामी रद्द करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/देय राशियों के लिए किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।

दिनांकः 14.05.2018, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

बैंक ऑफ़ इंडिया / Bank of India BOI

10वां तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ नई दिल्ली–110001,
टेली.: 011-23461404, फैक्स: 23765123
ईमेल: LargCorporateBr.Newdelhi@bankofindia.co.in

सेवा में,
मै. लिलीपुट किड्सविअर लिमिटेड, डी–95, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, नई दिल्ली– 110020
ध्यानार्थः श्री संजीव नरूला, सीएमडी
अन्य कार्यालय/ फैक्ट्री, अधोलिखित में स्थितः

1. प्लॉट नं. 180 सेक्टर 4, मानेसर, गुरुग्रम, हरियाणा
2. 2रा तल, प्लॉट नं. 6, ब्लॉक सी, हौजखास एन्क्लेव, नई दिल्ली
3. प्लॉट नं. 14/5, माइलस्टोन, सेक्टर 31, फरीदाबाद, हरियाणा
4. प्लॉट नं 34, नंद नगरी, इंडस्ट्रियल इस्टेट, महुआ खेरा गंज, अलीगंज रोड, काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड
5. प्लॉट नं. सी–39, ब्लॉक सी, नोएडा फेज–।।, नोएडा जिला गौतम बुध नगर (उ.प्र.)
6. प्लॉट नं. 141, ब्लॉक डी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, नई दिल्ली–110020
7. प्लॉट नं. 94 एवं 95, ब्लॉक डी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, नई दिल्ली–110020
8. प्लॉट नं. 57, 1 ला तल, ब्लॉक डब्ल्यू, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1, नई दिल्ली

पूर्वाग्रह रहित

विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में पहचान के लिये प्रक्रिया शुरू करने की सूचना

आपके अनुरोध पर बैंक ने मै. लिलीपुट किड्सविअर लि. (ऋणधारक) को साख सुविधाएं स्वीकृत की हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है तथा अनुरोध संदर्भ विभिन्न तिथियों जैसे तिथि 17.8.2010 को बैंक की स्वीकृति पत्र/ कम्युनिकेशन तथा विभिन्न तिथियों को ऋणधारक/ गारन्टर द्वारा निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूति दस्तावेज तथा हमारे पत्र/ सूचना सं./ आईबी/ एनडी/ एडीबी/ आरईसी/ एलके/ 475/ 650 तिथि 8.9.2014 है।

02. आप सभी जानते हैं कि किड्सविअर तथा उपस्करों के निर्माण, निर्यात तथा खुदरा ट्रेडिंग के लिये आपके अनुरोध पर बैंक ने नीचे वर्णित साख सुविधाएं स्वीकृत की हैं तथा आपको उपरोक्त साख सुविधाओं का उपयोग उक्त प्रयोजनों के लिये करना था तथा उपरोक्त स्वीकृति पत्र तथा ऋणधारक/ गारन्टर द्वारा निष्पादित ऋण एवं प्रतिभूति दस्तावेजों के अनुसार ऋण को वापस लौटाना था। चूंकि, ऋणधारक/ गारन्टर स्वीकृत रूप में बैंक को साख सुविधाओं का पुनर्भुगतान करने में चूक की है, आपका खाता नीचे तालिका में दर्शाए गए रूप में भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 01.04.2012 से प्रभावी रूप में 31.03.2012 को एनपीए वर्गीकृत किया गया है।

रु. करोड़ में

क्रम सं.	साख सुविधाएं	स्वीकृत सीमा	सूचना की तिथि को शेष बकाया*
1	सावधि ऋण	25.00	24.98
2	नगदी साख	29.46	27.45
3	डब्ल्यूसीटीएल	34.69	34.69
4	एफआईटीएल	17.22	18.59
	कुल	106.37	105.71

* गैर–आरोपित ब्याज तथा प्रभारों को एनपीए की तिथि से जोड़ा जायेगा।

03. हम क्षोभ के साथ आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमारी बार–बार की मांग अनुरोध एवं स्मरणों के बावजूद आप बैंक की उक्त बकाया राशि को वापस लौटाने में एवं/ अथवा खाताओं को विनियमित करने में विफल रहे तथा आपने उसकी अनदेखी की है।

04. इस परिस्थिति में कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में तथा अलग से दो महा प्रबंधकों से शामिल, भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की स्वीकृति तिथि 24.01.2015 द्वारा गठित बैंक की पहचान समिति ने आपकी पहचान ''विलफुल डिफॉल्टर'' के रूप में की है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर यह कारण बतायें कि क्यूं न आपको 'विलफुल डिफाल्टर' घोषित किया जाए।

05. भा.रि.बैं. के मास्टर सर्क्युलर नं. DBR No. CID.BC.22/20.16.003/2015-16 तिथि 01.07.2015 के द्वारा बैंक अधोलिखित कारणों से आपको विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने के लिये कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत है।

i) यूनिट ने लेण्डर के प्रति भुगतान/ पुनर्भुगतान देयताओं को पूरा करने में चूक की है तथा धन का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया गया जिसके लिए लैण्डर्स से धन प्राप्त किया गया है बल्कि उसका उपयोग अधोलिखित प्रक्रिया में विशेष रूप से अन्य प्रयोजन के लिए किया गया है।
[RBI क्लॉज नं. 2.1.3 (बी)]

क) लैण्डर्स की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना लैण्डर बैंक अथवा कंसोर्टियम के सदस्यों को छोड़कर किसी अन्य बैंक के माध्यम से धनों का रुटिंग [RBI क्लॉज नं. 2.2.1 (डी)] कारणों का औचित्य इस प्रकार हैः

कम्पनी के अंकेक्षित तुलन पत्र में यह देखने में आया है कि वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी ने रु. 354.02 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 में रु. 244.43 करोड़ की बिक्री का टर्न ओवर पूरा किया है जबकि इस अवधि के दौरान इस टर्नओवर का हमारे बैंक के माध्यम से उपयोग नहीं किया गया तथा साथ ही हमने अन्य क्रेडिट्स भी प्राप्त नहीं की है।

06. फिर भी, लागू होने वाले ब्याज, चार्जेज, लागतों आदि के साथ उपरोक्त रूप में आपको स्वीकृत साख सुविधाओं में सम्पूर्ण बकाये राशि का भुगतान करने के लिये 'अंतिम अवसर' के रूप में आपको एक और अवसर देने के लिये हम एतद्द्वारा आपको निर्देश देते हैं कि अपनी साख सुविधाओं में बकाया राशि के रूप में. 105.71 करोड़ तथा बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे एवं साथ ही पुनर्भुगतान की तिथि तक समय- समय पर लागू होने वाले आगे के ब्याज का इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर भुगतान करें अन्यथा कानून के अंतर्गत स्वीकार्य रूप में अन्य सांविधिक कार्रवाई/ वसूली कार्रवाई के अतिरिक्त पैरा 5 में वर्णित उसके सर्क्युलर तिथि 01.07.2015 के माध्यम से भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट नियत प्रक्रिया का अनुसरण कर हम आपको 'विलफुल डिफॉल्टर' के रूप में घोषित करने की उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होंगे।

07 कृपया ध्यान रहे कि यह सूचना इस विषय में आपके विरुद्ध तथा हमारे पास गिरवी रखी गई, हाइपोथेकेटेड, बंधक तथा चार्ज्ड प्रतिभूतियों के प्रवर्त्तन के लिए आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए हमारे अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित जारी की जा रही है।

सधन्यवाद — **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

सीसीः श्री संजीव नरूला

क) फार्म नं. एफ–41, रेक्टेंगल नं. 87, किल्ला नं. 1 मिन, 2 मिन, 10 मिन तथा रेक्टेंगल नं. 8, किल्ला नं. 5 मिन, 6 मिन, तथा रेक्टेंगल नं. 73, किल्ली नं. 021, मिन, खेवट नं. 28, खाता नं. 75 जो ग्राम राईसीना, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा की राजस्व सम्पदा में स्थित है।
ख) एमएस– 135, 1ला तल, ब्लॉक–मेगा माल, फेज 1, डीएलएफ सिटी, गुड़गांव, हरियाणा
ग) ई–109, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली– 110057

विशिष्ट चाय व्यापार लिमिटेड

ए–446, बेसमेंट, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024
ई–मेलः visisthcvl17@gmail.com फोनः 033–66133300 वेबसाइटः www.vcvl.in
CIN : L15491DL1985PLC019848

सूचना

सेबी (सूचीयन देयताएं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के नियम 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 5, गोर्की टेरेस, द्वितीय तल, कोलकाता– 700017 में सोमवार, 28 मई, 2018 को अप. 2.30 बजे होगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ–साथ निम्नलिखित पर चर्चा की जाएगी :

i) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष तथा तिमाही (क्यू 4) हेतु लेखापरीक्षित स्टैण्डएलोन तथा समेकित वित्तीय परिणाम पर चर्चा एवं अनुमोदन, तथा
ii) सभापति की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट : www.vcvl.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट : www.msei.in पर भी उपलब्ध है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है।

वास्ते **विशिष्ट चाय व्यापार लिमिटेड**
हस्ता/– **चंपा लाल पारीक**
अनुपालन अधिकारी

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 16 मई, 2018

CyberMedia

CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED

CIN: L92114DL1982PLC014334
Regd. Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017. Tel.: 011-26491230
Corp. Office: B-35, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana. Tel.: 0124-4822222
Email: investorcare@cybermedia.co.in. Website: www.cybermedia.co.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 29th day of May, 2018, inter-alia, to consider and approve the audited financial results of the Company, standalone and consolidated, for the quarter and financial year ended 31st March, 2018.

The said information is also available on the Company's website at www.cybermedia.co.in and the websites of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By Order of the Board
Sd/-
Anoop Singh
Company Secretary
M. No. F8264

Gurugram
May 15, 2018

बैंक ऑफ़ इंडिया / Bank of India BOI

बहादुरशाह जफर मार्ग शाखा
''हंस भवन'', बहादुर शाह जफर मार्ग,
तिलक ब्रिज, नई दिल्ली–110002,
फोन नं. 23379468, 23370617, 23370534
ई-मेलः BSZaffarMarg.NewDelhi@bankofindia.co.in

[नियम- 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 11.07.2016 जारी कर ऋणधारक मै. श्रीजी अलु ग्लेज प्रा. लि. को उनकी कैश क्रेडिट शाखा में उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित कुल राशि रु. 1,10,40,069.00 (रुपए एक करोड़ दस लाख चालीस हजार उन्हत्तर मात्र) 11.7.2016 को मै. श्रीजी अलु ग्लेज प्रा. लि. की नगद साख खाता में तथा उस पर आगे का ब्याज, लागत, खर्चे तथा अन्य अनुषांगिक चार्जेज आदि को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 10 मई, 2018 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 11.7.2016 को मै. श्रीजी अलु ग्लेज प्रा. लि. की नगद साख खाता में रु. 1,10,40,069.00 (रुपए एक करोड़ दस लाख चालीस हजार उन्हत्तर मात्र) के साथ उस पर आगे के ब्याज, लागत, खर्चे तथा अन्य अनुषांगिक चार्जेज आदि के लिए बैंक ऑफ इंडिया, बहादुरशाह जफर मार्ग शाखा, हंस भवन, बी.एस.जेड. मार्ग, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली–110002 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. एच. 33, माप 375 वर्ग मी., यूपीएसआईडीसी, मसूरी–गुलाबठी रोड इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001 में स्थित फैक्ट्री भूमि तथा भवन तथा अन्यत्र में स्टॉक ओडी यूपीएसबी विण्डोज एवं डोर्स एवं उसके कच्चे माल, प्रगति में स्टॉक, बुक डेब्ट्स तथा प्लान्ट एवं मशीनरी।

मै. श्रीजी अलु ग्लेज प्रा.लि. के नाम में प्लॉट नं. एच.33, माप 375 वर्ग मी., यूपीएसआईडीसी, मंसूरी–गुलाबठी रोड इंड स्ट्रियल एरिया, फेज–1, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001 में स्थित फैक्ट्री भूमि तथा भवन का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दीः **उत्तरः** सड़क; **दक्षिणः** अन्य सम्पत्ति; **पूर्वः** प्लॉट नं. एच 34; **पश्चिमः** प्लॉट नं. एच–32

तिथिः 10.5.2018
स्थानः दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया

पब्लिक नोटिस

नीचे दिए गए वोडाफ़ोन प्रीपेड टैरिफ प्लान केवल यू.पी. ईस्ट में मान्य है.

क्र. सं.	विवरण/सर्विसेज	डिटेल्स	टैरिफ प्लान 4	
1	एक बार दिया गया भुगतान, यदि कोई है तो		4	
2	फ्री कॉल्स/SMS/डेटा ट्रांसफ़र, यदि कोई है तो (एक बार के भुगतान में जुड़ा है)		-	
3	सिम/अकाउंट वैलिडिटी		6 माह	
4	टैरिफ वैलिडिटी (प्रारंभिक/प्रचार/बेस, यदि है तो)		6 माह	
5	पल्स रेट		प्रति सेकंड	
6	कॉल चार्ज (प्रारंभिक/प्रचार/बेस, यदि है तो)		-	
			वाईस	वीडियो
a	लोकल	वोडाफ़ोन से वोडाफ़ोन कॉल	2.5पैसे/सेकंड	3
		वोडाफ़ोन से अन्य मोबाइल कॉल	2.5पैसे/सेकंड	3
		लैंडलाइन	2.5पैसे/सेकंड	3
		वोडाफ़ोन से वोडाफ़ोन	2.5पैसे/सेकंड	3
b	STD	वोडाफ़ोन से अन्य मोबाइल कॉल	2.5पैसे/सेकंड	3
		लैंडलाइन	2.5पैसे/सेकंड	3
c	ISD	ISD टैरिफ के लिए हमारी वेबसाइट www.vodafone.in पर जाए		
d	SMS (₹/SMS)	लोकल	1	-
		नेशनल	1.5	-
		इंटरनेशनल	5	-
7	डेटा (₹/MB)	होम	50पै/MB	-
		रोमिंग से वोडाफ़ोन नेटवर्क	50पै/MB	-
			वाईस	वीडियो
8	रोमिंग पर वोडाफ़ोन नेटवर्क पर कॉल चार्जेज (₹/मिनट)	लोकल आउटगोइंग	0.8	4
		STD आउटगोइंग	1.15	4
		इनकमिंग	0	3
		SMS (लोकल/STD/ISD) ₹/SMS)	0.25/0.38/5	-
9	विशेष लाभ (यदि है तो)		NA	
10	रिचार्ज/अन्य शर्त (यदि है तो)		कृपया क्रं संख्या i),ii) पर जाएं	
11	ब्लैक आउट दिन में SMS मान्य	फ्री या डिस्काउंट SMS दिए गए अवसरों पर मान्य नहीं है - 1. नव वर्ष - 1 जनवरी 2018 (सोमवार), 2. होली - 2 मार्च 2018 (शुक्रवार), 3. छोटी दिवाली- 6 नवम्बर 2018 (मंगलवार), 4. दिवाली - 7 नवम्बर 2018 (बुधवार) 5. नववर्ष शाम - 31 दिसम्बर 2018 (सोमवार)		

ध्यान दे: " सरकारी नियमों के अनुसार, ऐसे कनेक्शन जिनका उपयोग (बैलेंस के साथ वॉइस/विडियो कॉल, आउटगोइंग SMS, इंटरनेट उपयोग, VAS की खरीद) 90 दिन नहीं किया गया हो, VIL द्वारा निम्नलिखित करवाई की जाएगी : i) ₹20 से कम बैलेंस वाले सब्सक्राइबरो के लिए, 15 दिन की अवधि के अन्दर पुनः एक्टिवेशन शुल्क के भुगतान किये जाने तक सभी सेवाओ को डीएक्टिवेट कर दिया जायेगा। इस अवधी के भीतर उक्त शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर नंबर डिसकनेक्ट कर दिया जायेगा। ii) ₹20 से अधिक के बैलेंस वाले सब्सक्राइबरो के लिए, आटोमेटिक रिटेंशन स्कीम प्रभावी कर दी जाएगी - ₹20 काट लिए जायेंगे और सेवाएं 30 दिन के लिए जारी रहेंगी। अगर इस अवधि के अंत तक कोई उपयोग नहीं किया जाता i) या ii) प्रभावी हो जाएगी, जो बैलेंस पर निर्भर करेगा। किसी भी अप्रयुक्त टॉकटाइम बैलेंस और कार्ड की वैधता के लिए कोई रिफंड नहीं किया जायेगा। डिसकनेक्ट करने के बाद नंबर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।"

वोडाफ़ोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड (CIN - U64202MH1992PLC296375)
शालीमार टाइटेनियम, प्लाट नंबर - TC/G-1/1, विभूति खंड
गोमती नगर लखनऊ- 226010

www.vodafone.in | 98390 98390